



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2008 एवं वर्ष 2010 में छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र-छात्राओं से प्रथम एवं द्वितीय नवीनीकरण हेतु आवेदन

विज्ञप्ति संख्या - 69/2013

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2008 (वर्ष 2008 में 80 प्रतिशत अंक के साथ इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण) एवं 2010 (वर्ष 2010 में 80 परसेन्टाईल अंक के साथ इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण) में छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र/छात्राओं से प्रथम एवं द्वितीय नवीनीकरण हेतु आवेदन नीचे अंकित प्रपत्र में दिनांक 30.11.2013 के अपराह्न तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से वांछित अभिलेख अनुलग्नक के रूप में संलग्न करेंगे अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

ज्ञानदीप भवन, बरगावाँ, नामकुम, राँची-834010

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी 2008 एवं 2010 का प्रथम एवं द्वितीय नवीनीकरण

वर्ष 2008 एवं 2010 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं से प्रथम एवं द्वितीय नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र (प्रथम एवं द्वितीय नवीनीकरण हेतु अलग-अलग आवेदन समर्पित करना होगा)

1	किस नवीनीकरण हेतु आवेदन समर्पित किया जा रहा है (प्रथम या द्वितीय)	
2	आवेदक का नाम	
3	आवेदक का स्थायी पता (पिन कोड सहित)	
4	आवेदक का वर्तमान पता (पिन कोड सहित)	
5	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित इंटरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	
6	इंटरमीडियेट परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक एवं प्रतिशत	
7	किस वर्ष उक्त स्कीम के तहत छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त की गई थी।	
8	प्राप्त राशि का चेक/ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक	
9	आवेदन का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, आई.एफ.एस.कोड	
10	वर्तमान संस्थान का नाम एवं पूर्ण पता	
11	किस कोर्स में आवेदक अध्ययनरत हैं/थे	
12	आवेदक का संपर्क (दूरभाष नं. मोबाईल) संख्या	
13	आवेदक द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त छात्रवृत्ति की पूर्ण विवरणी	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनायें सही हैं। यदि भविष्य में कोई सूचना त्रुटिपूर्ण या गलत पाया जाता है तो छात्रवृत्ति की संपूर्ण राशि एक मुश्त वापस कर दी जाएगी एवं मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई परिषद् द्वारा प्रारंभ की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:- आवेदक को छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा-

1. इंटर (XII) का अंक एवं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
2. जिस संस्थान के अध्ययनरत है या थे उस संस्थान के प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (मूल में) कि आवेदक संस्थान में अध्ययनरत हैं/थे।
3. आवेदक के अभिभावक/माता-पिता का वार्षिक आय से संबंधित शपथ पत्र (शपथ पत्र का प्रपत्र जैक के वेबसाइट में उपलब्ध है)
4. आवेदक के बैंक खाते का एक रद्द चेक (मूल में)
5. आवेदक के अभिभावक/माता-पिता का विगत वर्ष का वार्षिक आय से संबंधित Form-16 आयकर का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
6. जिस संस्थान में अध्ययनरत हैं/थे उस संस्थान के प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिसमें यह अंकित होगा कि विगत वर्षों में (वर्षवार) आवेदक का संस्थान में उपस्थित (न्यूनतम 75% उपस्थित अनिवार्य है), वर्षवार प्राप्त अंक प्रतिशत (न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है) रही है।
7. अध्ययनरत संस्थान द्वारा प्रासंगिक अवधि हेतु निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (मूल)

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(सुशील कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/CSSS-10/7489-13/SECY/547/13

Dt. 01.11.13

D.O.P.: 03.11.13